

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-अजमेर/एफ.02/2025/25

दिनांक 10-02-2025

**आदेश**

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रिमती	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल चयनित वेतनमान हेतु सेवा पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत एम/एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	रजाक मोहम्मद पठान, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटला खण्ड- सहाडा	11-10-1993	11.10.2020 27वर्षीय	एल-11	एल-12

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एम/एसीपी, स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/जोन-अजमेर/एफ.02/2024/25

दिनांक 10-02-2025

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटला खण्ड- सहाडा।
- श्री रजाक मोहम्मद पठान, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियनको द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :07-02-2025 12:51:40